

राजस्थान सरकार




रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा (6) 1 के अन्तर्गत सबंधी श्रीमति लहरो - अंधधुआ, श्रीमति अंदा कला - उपा. श्रीमति सुंगनी - कोषाधुआ तथा अन्य रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र का रजिस्ट्रेशन श्रीमति कंचन सहकारी समिति लि. लूणा कला पंचायत समिति अंकिरा पोस्ट ग्राम लूणा कला जिला जैसलमेर के नाम से स्वीकृत किया गया तथा उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन आज दिनांक 31-3-2001 को क्रमांक 447 / एम. पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत ऐसी शर्तों के साथ जिनका वर्णन आवेदन-पत्र में है और उक्त अधिनियम उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेश और समिति के उपा-नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया गया।

यह रजिस्ट्रेशन प्रमाण - पत्र मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित आज दिनांक 31-3-2001 को जारी किया गया।




सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां
जैसलमेर


सहायक रजिस्ट्रार
महिला व मत्त स.स.लि.
लूणा कला (जैसलमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत लूणाकला पंचायत समिति


सांकड़ा मु0 पोकरण (जैसलमेर)

क्रमांक / SPL/.....

दिनांक 22/08/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लूणाकला में इस वर्ष पड़ रही भयंकर गर्मी व आपदा को देखते हुये पशुओं के लिए चारा डिपो व पशु शिविर के लिए अन्य किसी संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है न ही ग्राम पंचायत स्वयं चारा डिपो व पशु शिविर संचालित करेगी।


संजय कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत लूणाकला